



दि. 11.08.2023 के क्रम में यह पत्रावली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चायतु से
स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है। जो नए मुकदमा
संख्या में दर्ज होकर आपका उभय पक्षकाल
दिनांक 12.04.24 को पेश हो।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

12/4/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
चुनाव कार्यों में व्यस्त है। मिसल इलतवा
होकर को पेश हो।
16/8/24 

16/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण
अबु. प्रतिवादीगण की तलबी
हेतु सम्मन जारी ~~बिना~~ ~~मिसल~~
~~अपने~~ नहीं। न्यायालय समय
में वकील वादी एवं वादी के
नाम अलग - 2 समय में तीन
बार आवाजें लगाई गई। बोर्ड
हाजिर नहीं। इससे प्रतीत होता है
कि वादी अपने वाद के प्रति उन्मुख
नहीं हैं। लिहाजा मिसल आदेश
09 नियम 05 CPC के अन्तर्गत
अदम पालना में खारिज किया
जाता है। पत्रावली छिसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

